—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —— प्रार्थीगण
2. श्री मदन लाल पारीक ——अप्रार्थी संख्या 1 व 2

निर्णय :—

दिनांकः— 30/1/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है—कि प्रार्थीगण की ओर से उक्त अनवान का मूल वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें प्रार्थीगण को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोष आधार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के परिवार की बंशावली प्रस्तुत की गई है।

यह कि प्रार्थीगण के दादा पोलाराम के पाच पुत्र रामलाल मुखराम, गंगाजल, रामकरण, व पतराम थे जिनके नाम चक 8 एल जी डब्ल्यू बी के प. नं. 20/285 का किला नं. 1 ता 25. प. नं. 21/286 का किला नं. 1, 10, 11 व पं. नं. 20/286 का किला नं. 1 ता 10,16 ता 19, 21 ता 25. प.नं. 20/287 का किला नं. 1 ता 22, पं. नं. 18/290 का किला नं. 8,13. 14, 16, 17, 18, 23 तो 25 व चक 10 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 21/292 का किला नं.1, 3 ता 9, 12 ता 19 पं. नं. 22/295 का किला नं. 2 ता 9, 12 ता 15 कृषि भूमि थीं। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण व उनकी माता मृतक मैनादेवी द्वारा सहायक कलैक्टर हनुमानगढ के समक्ष मैनादेवी आदि बनाम रामलाल आदि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया जो सहायक कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 02.04.1983 को अंतिम से डिक्री किया गया जिसमे प्रार्थीगण मैनादेवी, कृष्णादेवी व गीतादेवी को उक्त वर्णित भूमि मे से चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 21/286 के किला नं. 10, 11 प. नं. 20/286 के किला नं. 3 ता 5, 6/.076, 7, 8, 9/.075, 16, 17, 18, 19/.114, 24/.126, प. नं. 20/285 का किला नं. 15/.123, 16 ता 18, 23 ता 25 की भूमि का प्रार्थीगण मैनादेवी आदि को खातेदार घोषित किया जाकर उन्हे बटवारे मे दी गई उक्त भूमि का कब्जा सोपने के आदेश दिये गये। प. नं. 21/286, 20/286, 20/287 की शेष रही भूमि का गंगाजल, रामकरण, मुखराम, रामलाल के नाम दर्ज करने व चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 का किला नं. 8/1, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 की भूमि मे हरीराम, सोहनलाल को 1/2 हिस्से का तथा गंगाजल, रामकरण पिसरान पोलाराम को 1/2 हिस्से का गैर खातेदार घोषित करने के आदेश पारित किये गये । उक्त डिक्री की पालना मे प्रार्थीगण मैनादेवी द्वारा जरिये इन्तकाल सं. 9 के जरिये चक 8 एल जी डब्ल्यु बी के प. नं. 20/285 का किला नं. 15/123, 16 ता 18, 23 ता 25 व प. नं. 20/286 का किला नं. 3, 4, 5, 6/2/076, 7, 8, 9/075 की भूमि का नामान्तकरण दिनांक 07.01.1984 दर्ज करवाया गया तथा नामान्तकरण सं. 10 चक 8/1 एल जी डब्ल्यु बी के प. नं. 21/286 का किला नं. 10, 11 का नामान्तकरण दिनांक 07.01.1984 को प्रार्थीगण मैनादेवी आदि के नाम दर्ज करवाया गया एव नामान्तकरण सं. 11 के जरिये चक 8 एल जी डब्ल्यु बी के प. नं. 20/286 के किला नं. 16 ता 18, 19/1/114, 24/126, 25 की भूमि का नामान्तकरण दिनांक 07.01.1984 को प्रार्थीगण मैनादेवी आदि के नाम दर्ज करवाया गया।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 की शेष रही भूमि के सम्बन्ध मे रामलाल की मृत्यु के पश्चात रामलाल के वारिसान द्वारा सहायक कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष एक राजस्व वाद सुगना राम आदि बनाम हनुमान आदि का प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.04.2001 को डिक्री हुआ जिसमे चक 10 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 21/292 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19 व पं. नं. 22/295 का किला नं. 2 ता 9, 12 ता 15 की 7.084 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 को 1.890 हैक्टर व अप्रार्थी सं. 2 को 1.889 हैक्टर व अप्रार्थी सं. 3 ता 10 को 2.015 हैक्टर, अप्रार्थी सं. 11 व 12 को 1.290 हैक्टर का खातेदार घोषित किया गया तथा रामलाल, रामकरण व अप्रार्थी सं. 13 ता 15 मैना, गीता, कृष्णा का नाम कल्मजन किये जाने व चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 20/285 के किला नं. 1 ता 15, 19 ता 22, प. नं. 21/286 का किला न. 1 व प. नं. 20/286 के किला नं. 1, 2, 9/2, 10, की कुल 5.874 हैक्टर प्रार्थीगण को 2.769 हैक्टर अप्रार्थी सं. 1 को .345 हैक्टर अप्रार्थी सं. 2 को 1.380 हैक्टर तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 10 1. 380 हैक्टर का खातेदार घोषित करके रामकरण व रामलाल के नाम कल्मजन करने के आदेश पारित किये गये।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा उनकी मृतक माता ... द्वारा श्रीमान सहायक कलैक्टर पीलीबंगा मे एक राजस्व वाद मैनादेवी आदि बनाम ... आदि का वर्ष 2017 मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीगण द्वारा स्वय को ... के जरिये चक 8 एल जी डब्ल्यु मे प्रार्थीगण को 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई होने के कथन किये गये है जो कि प्रार्थीगण के अधिपत्य मे चली आ रही है उक्त वाद मे प्रार्थीगण द्वारा अपने को चक 10 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 21/292 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19 व प. नं. 22/295 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 15 की कुल 7.084 हैक्टर भूमि मे अपने को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रार्थीगण द्वारा चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की भूमि मे अपना कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

व हिस्सा होना नही मानकर उक्त भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थीगण मैनादेवी आदि द्वारा अनुतोष नही चाहा गया है।

यह कि मैनादेवी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अनवान मैनादेवी आदि बनाम रामलाल आदि सहायक कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 02.04.1983 की पालना मे मैनादेवी द्वारा केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाया गया शेष डिक्री की पालना मैनादेवी द्वारा नही करवाई गई। प्रार्थीगण श्रवण कुमार आदि के पिता श्री रामकरण की मृत्यु दिनांक 15.02.1989 को हो चूकी होने से तथा प्रार्थीगण उस समय नाबालिक होने के कारण प्रार्थीगण को श्रीमान सहायक कलैक्टर न्यायालय हनुमानगढ द्वारा पारित डिक्री की पालना प्रार्थीगण नाबालिक होने व उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही होने के कारण नही करवा सके। उक्त डिक्री मे चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2.226 हैक्टर भूमि मे हरीराम, सोहनलाल पुत्र बोगाराम को 1/2 हिस्से का व गंगाजल रामकरण को 1/2 हिस्से का स्वामी घोषित किया गया था गंगाजल द्वारा उक्त भूमि में अपना हक व हिस्सा के जरिये तबादले में अन्य भूमि प्राप्त कर ली जिससे उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण ही खातेदार स्वामी हो गये। प्रार्थीगण व हरीराम, सोहनलाल के मध्य हुये घरू बंटवारे मे प्रार्थीगण को चक ठ एल जी डब्ल्यू बी के प. नं. 18/290 का किला नं. 8/1/.202, 13, 14/.051,17/.051,18,23. 24/.050 की 1.113 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि बंटवारे मे प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थीगण का अधिपत्य चला आ रहा है, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे पतराम का नाम दर्ज रहने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा सगुप्त रूप से दिनांक 07.12.2017 को अपने नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लिया तथा अप्रार्थीगण की माता मैनादेवी की मृत्यु माह अक्टूबर 2018 को हो जाने से अप्रार्थीगण अपने नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर प्रश्नगत भूमि को अन्तरण करने के लिये तथा प्रार्थीगण को बंटवारे मे प्राप्त हुई प. नं. 18/290 का किला नं. 8/1/.202, 13, 14/.051, 17/.051, 18, 23, 24/ .050 की 1.113 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने के लिये प्रयासरत है।

यह कि अप्रार्थीगण व उनकी माता मैनादेवी को डिक्री के जरिये चक 8 एल जी डब्ल्यु बी के प. नं. 18/290 का किला नं. 8/1/.202, 13, 14/.051, 17/.051, 18, 23, 24/.050 की 1.113 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि मे दर्ज हिस्सा के बदले अन्य भूमि प्राप्त हो गई होने से अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार से कोई हिस्सा निहित नही रहा होने से तथा न्यायालय द्वारा मैनादेवी आदि द्वारा प्रस्तुत वाद मे उक्त वर्णित चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2.226 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीगण के पिता रामकरण व गंगाजल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया होने से तथा गंगाजल द्वारा उक्त वर्णित भूमि मे अपने हिस्से के बदले तबादले मे अन्य भूमि प्राप्त कर ली होने से प्रार्थीगण चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2.226 हैक्टर भूमि मे 1/2 भाग के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा [illegible] से दर्ज अप्रार्थीगण व उनकी माता का नाम कल्मजन करवाने के अधिकारी [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व [illegible] पूर्ण रूप से होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आ[illegible]धाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गलत अंकन के आधार प[illegible]श्नगत चक 8 एल जी डब्ल्यु के प. नं. 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2. 226 हैक्टर भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार से दखलनदाजी नही करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत अंकन के आधार पर प्रश्नगत चक 8 एल जी डब्ल्यु के मुरब्बा 18/290 के किला नं. 8/1, 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 की 2.226 हैक्टर भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त मे किसी प्रकार से दखलनदाजी करने से निषेध रहे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदन लाल पारीक हाजिर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार से है–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज तथ्य की उक्त अनवान का दावा पेश हो चुका है स्वीकार जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सं. 1–2 निम्न प्रकार से है परन्तु इस दावा में प्रार्थीगण को कामयाबी की कतई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज सजरा खानदान को साबित करने का भार प्रर्थनीगण पर है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने रामलाल मुखराम गंगाजल पतराम की समस्त भूमि अंकित नही कि है। चक 8 एल.जी. डब्ल्यू बी के खाता सं. 182/154 की 8. 16 में पतराम रामकरण पिसरान पोलाराम की चक 8 एल. जी. डब्ल्यू बी व चक 10 एल.जी. डब्ल्यू रामकरण रामलाल मुखराम गंगाजल 1/2 हिस्सा है। चक 8 एल. जी. डब्ल्यू के खाता सं. 26/22 में रामकरण के नाम 34.09 बीघा ब.हि.ब., इसी चक के खाता सं. 26/50 की 8.09 बीघा में पतराम रामकरण 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व इसी चक के खाता सं. 26/61 की 30.09 बीघा में पतराम अभिलेख थी । चक 10 एल. जी. डब्ल्यू के खाता सं. 23/21 में 28 बीघा रामलाल गंगाजल रामकरण गंगाजल ब. हि. ब. दर्ज राजस्व मुखराम गंगाजल पतराम व रामकरण पिसरान पोलाराम के नाम ब.हि. ब. दर्ज थी। प्रार्थीगण द्वारा जान बुझकर समस्त भूमि का वर्णन नही किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 जिस तरह से अंकित की गई है स्वीकार नही है। दफा हाजा में प्रार्थीगण द्वारा वर्णित डिक्री दिनांक 02.04.1983 से पूर्व न्यायालय सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ द्वारा दावा अनवान मैना देवी आदि बनाम रामलाल आदि प्र. सं. 12/77 में दिनांक 13.03.1978 को डिक्री पारित कर अप्रार्थीगण मैना देवी वगैरा को चक 8 एल. जी. डब्ल्यू के पं.नं. 20/285 किला नं. 2 ता 5, 6/.06, 7, 8/2.00, 9/.11 की 6.17 बीघा, पं.नं. 20/286 की 16 ता 18, 19/.09, 21 ता 25 की 8.09 बीघा, पं.नं. 20/287 किला नं. 1/1. 00, 2/.14 की 1.14 बीघा व पं.नं. 18/290 के किला नं. 24/.14, 25/.14 की 1.08 बीघा कुल 18.08 बीघा व चक 10 एल.जी. डब्ल्यू के पं.नं. 21/292 किला नं. 16 ता 18 व पं.न. 22/295 किला नं. 2–3, 9/.12 कुल 5.12 बीघा भूमि का खाता अलग किया गया था। इस डिक्री में हम अप्रार्थीगण व माता मैना देवी को प्रश्नगत भूमि मे से किला नं. 24/.14, 25/. 14 कि 1.08 बीघा भूमि खाता विभाजन मे प्राप्त हो [illegible]। इसलिए पुनः उसी भूमि बावत खाता विभाजन का विधि – विरूद्ध है। दिनांक 02.04.1983 की डिक्री बाबत दावा करना एवं डिक्री पारित होना हमे कोई जानकारी [illegible] प्रस्तुत डिक्री में हरीराम सोहनलाल का 1/2 हिस्सा पोलाराम से कोई [illegible] था। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित सजरा खानदान रामकरण पिसरान पोलाराम का 1/2 हिस्सा अंकित है। जबकि गणपत पुत्र में ली गणपत नाम अंकित नही किया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा वर्णित डिक्री दिनांक 02.04. 1983 कतई गलत एंव पूर्व डिक्री दिनांक 13.03.1978 के बाद व भिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री पारित की गई थी। जिसकी कभी पालना नही हो सकती थी। तथा कथित डिक्री ... एंव प्रभावहीन है जिससे प्रार्थीगण को कोई अनुतोष हासिल नही हो सकता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित डिक्री व निर्णय सम्बंधी तथ्य को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत डिक्री दिनांक 12.04.2001 में न्यायालय द्वारा चक 8 एल. जी. डब्ल्यू में अप्रार्थीगण का 13 ता 15 में मैना देवी, गीता, कृष्णा को हिस्सा होना अंकित किया है। हम डिक्री में प्रश्नगत भूमि में हम अप्रार्थीगण का हिस्सा मानते हुये इस भूमि को छोड़कर शेष भूमि चक 10 एल. जी. डब्ल्यू एंव 8 एल. जी. डब्ल्यू की डिक्री पारित की गई है। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12.04.2001 के समय भी हम अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व अभिलेख प्रश्नगत भूमि में अंकित था। इस हिस्सा को सही मानते हुये शेष भूमि के नाम कलमजन के आदेश दिये गये है। इससे यह पूर्ण साबित है कि प्रश्नगत भूमि में हम अप्रार्थीगण का मुताबिक राजस्व अभिलेख 1/4 हिस्सा है, जो न्यायालय द्वारा सही माना जा कर इस प्रश्नगत भूमि मे से नाम कलमजन नही किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई गलत है स्वीकार नही है । दफा में वर्णित डिक्री दिनांक 02.04.1983 बाबत हम अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है। हम अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहाकय कलैक्टर द्वारा पारित डिक्री दिनांक 13.03.1978 का उल्लेख करते हुये इस डिक्री में वर्णित चक 10 एल. जी. डब्ल्यू की पं.नं. 21/222 किला नं. 16 ता 18, पं.नं. 22/295 के किला न. 2 – 3, 91.12 कुल 5.12 बीघा भूमि है। हम अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई थी। उस भूमि बाबत दावा पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा यह कथन कतई मिथ्यारचित है कि चक 8 एल. जी. डब्ल्यू की भूमि बाबत अपना कोई हक हिस्सा नही होना माना गया है। प्रश्नगत भूमि बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 19.03.1978 व डिक्री दिनांक 12.04.2001 में हम अप्रार्थीगण का हिस्सा तय हो चुका है। हम अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा जिस तरह से दर्ज कि गई है स्वीकार नही है। डिक्र दिनांक 02. 04.1983 एंव इसकी इजराय बाबत हम अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही है। प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत डिक्री दिनांक 02.04.1983 में गंगाजल के नाम से कोई डिक्री जारी नही की गई है। इसलिए इस भूमि में गंगाजल का हक व हिस्सा होना कतई मिथ्यारचित है। प्रश्नगत भूमि के राजस्व अभिलेख में गंगाजल का कोई हक व हिस्सा नही है इसलिए इस भूमि बाबत् तबादला करने के तथ्य मिथ्यारचित है। प्रश्नगत भूमि मे हम अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा है। हम अप्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार का कोई तबादल व घरू बंटवारा नही है। हमारी सहमति के बगैर किया गया तबादला व घरू बंटवारा विधि विरूद्व एंव प्रभावहीन है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 कतई गलत है स्वीकार नही है। प्रश्नगत भूमि में हम अप्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा के अभिलिखित हकदार है। हमारे हक हिस्सा की भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक नही है। प्रथम दृष्टा मामला व सुविधा का संतुलन हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर एकतरफा स्थगन आदेश जारी करवाकर हमारी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित करना चाहते है जिस कारण हम अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 17.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30/1/26 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़)

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested